रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED NO. D (D.N.) -72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 1983/चैत्र 23, 1905

No. 139] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 1983/CHAITRA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1983

सा. का. नि. 328(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 की उपधारा (4) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संरक्षण) अनुज्ञापन (विचारार्थ अतिरिक्त विषय) नियम, 1983 है ।

(2) इनका विस्तार, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिनियम" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है।

3. अधिनियम की धारा 44 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए विचारार्थ अतिरिक्त विषय :—अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्ति देने के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी उस धारा की उपधारा (4) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य विषयों पर भी ध्यान देगा, अर्थात् :—

(1) ऐसे कारबार के लिए सुविधाओं, उपस्कर और परिसरों की उपयुक्तता के प्रतिनिर्देश से संबंधित कारबार का प्रबन्ध करने की आवेदक की क्षमता ;

(2) स्रोत और वह रीति जिससे संबंधित कारबार के लिए प्रदाय अभिप्राप्त किए जाएंगे ;

(3) संबंधित क्षेत्र में सुसंगत कारबार के लिए पहले विद्यमान अनुज्ञप्तियों की संख्या ;

(4) संबंधित वन्य प्राणी के आखेट या व्यापार पर ऐसी अनुज्ञप्ति के देने से होने वाला प्रभाव

परन्तु यदि उक्त प्रभाव, अधिनियम की अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राणी से संबंधित

है तो ऐसी अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श करके ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं ।

[फा. सं. 1-20/81-एफ.आर.वाई. (डब्ल्यूएल)]
समर सिंह, संयुक्त सचिव

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1983

**G.S.R. 328(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 63, read with clause (b) of sub-section (4) of section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—These rules may be called the Wild Life (Protection) Licensing (Additional Matters for Consideration) Rules, 1983.

(2) They shall extend to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires, "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

3. Additional matters for consideration for grant of licence under section 44 of the Act.—For the purposes of granting a licence referred to in sub-section (1) of section 44 of the Act, the Chief Wild Life Warden or the authorised officer, as the case may be, shall, in addition to the matters specified in clause (b) of sub-section (4) of that section, have regard to the following other matters, namely : –

(i) capacity of the applicant to handle the business concerned with reference to facilities, equipment and suitability of the premises for such business;

(ii) source and the manner in which the supplies for the business concerned would be obtained;

(iii) number of licences for the relevant business already in existence in the area concerned;

(iv) implications which the grant of such licence would have on the hunting or trade of wild animals concerned :

Provided that no such licence shall be granted if the said implications relate to any wild animal specified in Schedule I or Part II of Schedule II to the Act, except with the previous consultation of the Central Government.

[F. No. 1-20/81-FRY (WL)]
SAMAR SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983